रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 28, 1977 कार्तिक 6, 1899

No. 211] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 1977/KARTIKA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Textiles)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th October 1977

SUBJECT.—*Study Group to review the working of the R.B.I Scheme for Handloom Finance.*

No. 6(7)/77/Coop.—Government of India have decided to constitute a Study Group to review the working of the R B I Scheme for Handloom Finance under the Chairmanship of Dr. M V. Hate, Chief Officer, Reserve Bank of India, Agricultural Credit Department, Bombay The following are nominated as members of the Study Group.—

1. Dr. M V Hate, Chief Officer, Agricultural Credit Department, Reserve Bank of India.
2. Shri B. C. Patnaik, Deputy Secretary, Banking Wing, Department of Economic Affairs, Government of India, Ministry of Finance
3. Shri M M Batra, Director of Textiles, National Cooperative Development Corporation
4. Shri P Shankar, IAS, Director of Handlooms & Textiles, Government of Tamil Nadu.

5. Shri S. N. Shukla, Director of Handlooms, Government of Uttar Pradesh
6. Shri M. P. Pinto, Director of Handlooms & Textiles, Government of Maharashtra.
7. Shri B. B. Mohanty, Director of Handlooms & Textiles, Government of Orissa.
8. Registrar of Cooperative Societies, Government of Bihar
9. Managing Director of State Cooperative Bank, Karnataka
10. Managing Director of State Cooperative Bank, Andhra Pradesh.
11. Shri L. V. Saptharishi, Deputy Development Commissioner for Handlooms, Member— Secretary.

2. The Study Group shall have the following terms of reference.—

(a) To review generally the working of the scheme for financing of Handloom weavers through co-operative societies/banks out of refinance from the Reserve Bank of India and to suggest modifications and improvements in the working of the Scheme, if required.

(b) To study the specific role played by the central co-operative banks and state co-operative banks in arriving at the quantum of credit required for financing of handloom weavers and to indicate a more effective role for the banks for the purpose so that the credit estimates and the credit limit applications are realistic.

(c) In the light of the above, to assess the credit requirements of handloom weavers' co-operative societies including the Apex Societies during the next two or three years and to give a broad indication of the magnitude of financial requirements and in this connection make suitable recommendations in regard to strengthening of the primary weavers societies/Apex Societies etc. and also of the co-operative financing banks.

(d) To study the present position in regard to arrangements for co ordination at the state level and district/regional level in regard to handloom financing between the Co-operative Department, Industries Department/Directorate of Handlooms and Co-operative Banks and to point out the existing inadequacies, if any, and make suitable recommendations for remedying them.

(e) To consider any other problem which is relevant to the above terms of reference and make recommendations.

3. The Study Group is requested to submit its report to Government by the first week of January 1978.

DAULAT RAM, Dy. Secy

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1977

विषय.—हथकरघा वित्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली के पुनरीक्षण के लिए अध्ययन दल ।

सं० 6(7)/77–सहकारिता.—भारत सरकार ने हथकरघा वित्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली के पुनरीक्षण के लिए, डा० एम० वी० हाटे, मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि ऋण विभाग, बम्बई की अध्यक्षता मे एक अध्ययन दल गठन करने का निश्चय किया है । इस अध्ययन दल के निम्नलिखित सदस्य नामित किये गये है :—

1. डा० एम० वी० हाटे, मुख्य अधिकारी कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक ।

2. श्री बी० सी० पटनायक, उपमचिव, बैंकिंग स्कंध, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ।

3. श्री एम० एम० बत्रा, निदेशक (वस्त्र), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।

4. श्री पी० शंकर, आई० ए० एस०, निदेशक, हथकरघा और वस्त्र, तामिल नाडु सरकार ।

5. श्री एस० एन० शुक्ल, निदेशक, हथकरघा, उत्तर प्रदेश सरकार ।

6 श्री एम० पी० पिटू, निदेशक, हथकरघा व वस्त्र, महाराष्ट्र सरकार ।

7. श्री बी० बी० मोहन्ती, निदेशक, हथकरघा व वस्त्र, उड़ीसा सरकार ।

8. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार सरकार ।

9. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, कर्नाटक ।

10. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, आन्ध्र प्रदेश ।

11. श्री एल० वी० सप्तऋषि, हथकरघा उप विकास आयुक्त, सदस्य सचिव ।

2. अध्ययन दल के निम्नलिखित कार्य विषय होंगे:—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त से, सहकारी समितियों / बैंकों के द्वारा हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने की योजना की कार्य प्रणाली का सामान्य पुनरीक्षण करना तथा यदि आवश्यक हो तो, इस योजना के कार्यों में संशोधन का सुझाव देना तथा योजना के कार्यों में सुधार लाना ।

(ख) हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपेक्षित ऋण की राशि निर्धारित करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका का अध्ययन करना तथा इस उद्देश्य के लिए बैंकों की अधिक प्रभावशाली कार्यों को बताना ताकि ऋण अनुमानों तथा ऋण सीमा निर्धारित करने की वास्तविकता का पता चल सके ।

(ग) उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अगले दो अथवा तीन वर्षों के दौरान शीर्ष समितियों सहित हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और वित्तीय आवश्यकताओं की सीमा को मोटे रूप से बताना और इस सम्बन्ध में प्राथमिक बुनकर समितियों/शीर्ष समितियों आदि और साथ ही सहकारी वित्तीय बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए उचित सिफारिशें करना ।

(घ) सहकारी विभाग, उद्योग विभाग हथकरघा निदेशालय और सहकारी बैंको के बीच हथकरघा सम्बन्धी वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य स्तर और जिला अक्षेत्रीय स्तर पर समन्वय के लिए व्यवस्था के सम्बन्ध मे वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना और वर्तमान कमियो को, यदि कोई हो, उनका उल्लेख करना और उनमे सुधार लाने के लिए उचित सिफारिशें करना ।

(ङ) उपर्युक्त कार्य विषय से सम्बन्धित अन्य किसी समस्या पर विचार करके सिफारिशें करना ।

3. अध्ययन दल से प्रार्थना है कि वह अपना प्रतिवेदन सरकार को जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत कर दें ।

दौलत राम, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977